न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :- 07/2023
अपीलान्ट्

1. चुनीदेवी बेवा स्व. चिमनाराम जाति जाट निवासी कालाउना
2. तेजाराम पुत्र स्व. चिमनाराम जाति जाट निवासी कालाउना
3. प्रकाशचन्द पुत्र स्व. चिमनाराम जाति जाट निवासी कालाउना
4. सीतादेवी पुत्री स्व. चिमनाराम जाति जाट निवासी कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट्स

1. सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2267 दिनांक 09.02.2022 व नामान्तरकरण सं. 2659 दिनांक 04.01.2022 जो तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 22.3.2023 को अस्वीकार किया गया।

1. अपीलान्ट् - श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता ।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. रेस्पोडेण्ट सं. 2- सरकारी पेरोकार।

:: निर्णय :: **दिनांक :-** 09/5/25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्रांम कालाउना तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में अपीलांट संख्या 01 के पति एवं अपीलांट संख्या 02 से 04 के पिता श्री चिमनाराम पुत्र श्री जेपाराम जी, जाति जाट निवासी कालाउना तहसील बिलाडा के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 613 के खसरा नंबर 871 रकबा 6.5934 हैक्टेयर किस्म कछार सोयम, खसरा नंबर 872 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै. मु.बेरा, खसरा नंबर 873 रकबा 0.7605 किस्म कछार दोयम कुल खसरा 03 का कुल रकबा 7.4024 हैक्टेयर कृषि भूमि में चिमनाराम जी का 1/6 वां हिस्सा बतौर खातेदार के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में अपीलांट संख्या 01 के पति एवं अपीलांट संख्या 02 से 04 के पिता श्री चिमनाराम पुत्र श्री जेपाराम जी, जाति जाट निवासी कालाउना तहसील बिलाडा के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 619 के खसरा नंबर 791 रकबा 8.4298 हैक्टेयर किस्म कछार सोयम, खसरा नंबर 792 रकबा 9.8455 हैक्टेयर किस्म कछार सोयम, खसरा नंबर 867 रकबा 19.6263 किस्म कछारे सोयम कुल खसरा 03 का कुल रकबा 37.9016 हैक्टेयर कृषि भूमि में चिमनाराम जी का 1/22 वां हिस्सा बतौर खातेदार के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलांट संख्या 01 के पति व अपीलांट संख्या 02

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से 04 के पिता श्री चिमनाराम अपने गांव से मुरकासनी जाने का कहकर दिनांक 8/8/2003 को घर से निकले थे। चिमनारामजी वापस घर नही आने पर अपीलांट संख्या 02 ने अपने पिता चिमनाराम जी के नाम की गुमसुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना बिलाड़ा में दिनांक 15/08/2003 को गुमसुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो रपट पुलिस थाना बिलाड़ा के रोजनामचा क्रमांक 675 दिनांक 15/08/2003 दर्ज की हुई है। पुलिस थाना बिलाड़ा रोजनामचा आम की फोटो प्रति संलग्न है। अपीलांट संख्या 01 के पति व अपीलांट संख्या 02 से 04 के पिता चिमनाराम की काफी पुलिस द्वारा तलाशी के बावजूद भी नही मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर चिमनारामजी की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिनांक 04/6/2020 को ग्राम सेवक कालाउनां तहसील बिलाड़ा द्वारा जारी किया गया है। चिमनाराम जी के मृत्यु के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। अपील के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 613 के खसरा नंबर 871 रकबा 6.5934 हैक्टेयर किस्म कछार सोयम, खसरा नंबर 872 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 873 रकबा 0.7605 किस्म कछार दोयम कुल खसरा 03 का कुल रकबा 7.4024 हैक्टेयर कृषि भूमि में चिमनाराम जी का 1द6 वां हिस्सा की भूमि पर तथा खाता संख्या 619 के खसरा नंबर 791 रकबा 8. 4298 हैक्टेयर किस्म कछार सोयम, खसरा नंबर 792 रकबा 9. 8455 हैक्टेयर किस्म कछार सोयम, खसरा नंबर 867 रकबा 19. 6263 किस्म कछार सोयम कुल खसरा 03 का कुल रकबा 37. 9016 हैक्टेयर कृषि भूमि में चिमनाराम जी का 1/22 वां हिस्सा की भूमि पर अपीलांटस् सं. 01 से 04 कामिल मालिक की हैसियत से काबिज काश्त करते आ रहे है, उक्त भूमि पर अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। अपीलांटस् ने अपने पति/पिता चिमनारामजी की मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार एवं विधि अनुसार उक्त अपील के पैरा संख्या 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरणकरण अपीलांट्स अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी ग्राम पंचायत कालाउना के समक्ष चिमनारामजी के फौत होने बाबत् मृत्यु प्रमाण पत्र व शपथ पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर खाता संख्या 613 की कृषि भूमि के अ०न लाईन प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2267 दिनांक 09/02/2022 की अ०नलाईन नकल निकाल कर व खाता संख्या 619 की कृषि भूमि के अ०न लाईन प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2659 दिनांक 04/1/2022 की अ०नलाईन नकल निकाल कर पटवारी व भू. अभि. निरीक्षक ने जांच कर ग्राम पंचायत कालाउना के बैठक में स्वीकृक्ति हेतु पेश किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा अपीलांट के विरुद्ध राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुए ग्राम पंचायत बैठक में प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21/03/2022 को उक्त वर्णित दोनो खातों व खसरान की भूमि का नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि अपीलांटस् द्वारा अपने पतिधपिता. के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की थी तथा उक्त अपील के पैरा संख्या 01 व 02 में वर्णित खसरान की भूमि में चिमनारामजी के 1/6 व 1/22 वां हिस्से की कृषि भूमि पर अपीलांट

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 01 से 04 बतौर स्व. चिमनारामजी के वारिसान व उतराधिकारी की हैसियत से काश्त करते आ रहे है तथा आजदिन भी कब्जा अपीलांट सं. 01 से 04 का कब्जा बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा अपील के पैरा संख्या 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी व म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति नकलें दिनांक 15/4/2023 को प्राप्त की जिस पर अपीलांट को नामान्तरणकरण अस्वीकृत करने बाबत् जानकारी प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध यह अपील अंदर म्याद निम्न आधार पर पेश है- सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना ने अपीलांटस् के खाता संख्या 613 की कृषि भूमि के अ०न लाईन प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2267 दिनांक 09/02/2022 व अपीलांटस खाता संख्या 619 की कृषि भूमि के अ०न लाईन प्रविष्टि (प्यूटेशन) क्रम संख्या 2659 दिनांक 04/1/2022 को अस्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना ने नामान्तरकरण अस्वीकार करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनने का कोई नोटिस भी नही दिया गया तथा तमाम कार्यवाही बिना सुनवाई किये चुप चाप की गई है जबकि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी। यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना ने खाता संख्या 613 की कृषि भूमि के अ०न लाईन दर्ज प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2267 दिनांक 09/02/2022 व खाता संख्या 619 की कृषि भूमि के अ०न लाईन प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2659 दिनांक 04/1/2022 को अस्वीकार करने से पूर्व अपीलांटस से विधिवत् एवं अन्य कोई जांच ही नहीं की तथा कब्जे के बारे में कोई नहीं की तथा अपीलांटस् के पतिधपिता स्व. श्री चिमनाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र, वगैरा पेश किये गये कागजात को भी नहीं पढ़ा व बिना पढे ही स्व. चिमनारामजी की भूमि नामान्तरणकरण राजनैतिक द्वेष भावना से अस्वीकार कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना ने अपीलान्टस् को उनके जायज खातेदारी हक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है। नामान्तरणकरण से अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना एवं हल्का पटवारी ने अपीलांटस से विधिवत् एवं अन्य कोई जांच ही नहीं की तथा कब्जे के बारे में कोई नहीं की तथा अपीलांटस् के पतिधपिता स्व. श्री चिमनाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र, वगैरा पेश किये गये कागजात नियमानुसार जारी किये गये है जिनको भी नहीं मानते हुए अपीलांटस् खाता संख्या 613 की कृषि भूमि के अ०न लाईन दर्ज प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2267 दिनांक 09/02/2022 व खाता संख्या 619 की कृषि भूमि के अ०न लाईन प्रविष्टि (म्यूटेशन) क्रम संख्या 2659 दिनांक 04/1/2022 को राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुए अस्वीकार कर दिया गया। जो कि दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अस्वीकार करने योग्य नहीं है। अपील के पैरा संख्या 01 व 02 में स्थित खाता संख्या 613 व 619 में वर्णित कृषि भूमि में अपीलांटस् पतिधपिता स्व. श्री चिमनाराम के 1/6 व 1/22 वां हिस्से की कृषि भूमि पर अपीलांटस् बहैसियत काश्तकार काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना ने भूमि पर कब्जा के बारे में बिना कोई जांच किये तथा दस्तावेजी सबूतों (मृत्यु प्रमाण) को निराधार मानते हुए तथा सरपंच

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

द्वारा अपीलांट के विरूद्ध राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुए स्व. श्री चिमनाराम के वारिसान यानि अपीलांट के पक्ष में किए गए नामांतरकरण को प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 22/3/2023 को नियम विरूद्ध अस्वीकार किया है तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है।

अतः अपील पेशकर श्रीमान्जी से निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार की जाकर ग्राम कालाउना में स्थित खाता संख्या 613 व खाता संख्या 619 की कृषि भूमि में अपीलांटस् के पतिधपिता स्व. श्री चिमनाराम्जो के 1/6 व 1/22 वां हिस्से की कृषि भूमि सरपंच गग्राम पंचायत कालाउना द्वारा अस्वीकार किये नामन्तरणकरण को अपीलांट के नाम से फौतेदगी नामान्तरण के जरिए नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेण्ट सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेण्टस सं. 2 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं रही।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन संख्या 2267 व म्यूटेशन सं. 2659 ग्राम कालाउना का जो कि रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा अस्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट सं. 1 द्वारा खातेदार चिमनाराम के फौत होने के आधार पर अस्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट द्वारा कथन किया कि अपीलाण्ट सं. 1 से 4 के पति/पिता चिमनाराम अपने गांव से मुरकासनी जाने का कहकर दिनांक 08.08.2023 को घर से निकले थे जिनके वापिस घर नहीं लौटने पर गुमसुदगी रिपोर्ट पुलिस थाना बिलाडा में दिनांक 15.08.2023 को करवाई गयी। अपीलाण्ट सं. 1 से 4 के पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 04.06.2020 को जारी किया गया। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा फौतदगी नामान्तरकरण भरवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश जिसे ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा अपीलाण्ट के पति/पति के लापता होने से मृत्यु की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण खारीज किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा नामान्तरकरण सं. 2667 व नामान्तरकरण सं. 2659 को अस्वीकार किये जाने का कारण गलत दर्शाया गया क्योंकि नामान्तरकरण प्रपत्र (प-21) में हल्का पटवारी कालाउना व भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक द्वारा स्पष्ट अंकित किया कि चिमनाराम फौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र के आधार पर वारिसानों के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश किया गया। चिमनाराम की मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न होने के बाद ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा मृत्यु की पुष्टि किया जाना संभव नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कालाउना द्वारा नामा. सं. 2667 व 2659 को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गलत तथ्यों के आधार पर खारिज किया गया जोकि अनुचित है। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अस्वीकृत आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2267 दिनांक 09.02.2022 व नामान्तरकरण सं. 2659 दिनांक 04.01.2022 अस्वीकृत आदेश को निरस्त किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत नामांतकरण अपील संख्या 07/2023 चुनीदेवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कालाउना वगैरा, ग्राम पंचायत– कालाउना अंतर्गत धारा 75, राज. –भू–राजस्व अधिनियम– 1956 अपीलार्थी द्वारा भलीभांति साबित करने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2267 दिनांक 09.02.2022 व नामान्तरकरण सं. 2659 दिनांक 04.01.2022 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट के हस्तगत प्रकरण में ग्राम कालाउना के खाता सं. 613 व खाता सं. 619 में खातेदार चिमनाराम पुत्र जैपाराम के वारिसानों की जांच कर जांच उपरान्त नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा